कार्यालय:रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांक: 05/07/2019

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
..........................अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०,.. (समस्त)
..........................नागरिक सहकारी बैंक लि०,.. (समस्त)
..........................महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि०................. (समस्त)
..........................रेल्वे एम्पॅलाईज को-आपरेटिव बैंक लि०....................... (समस्त)

विषय:- एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/ नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्वेश्य से दी राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 द्वारा एक मुश्त ऋण राहत योजना की स्वीकृति हेतु निवेदन करने पर विभाग स्तर से " एक मुश्त ऋण राहत योजना, 2019 की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित अरबन को–आपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक योजना की क्रियान्विति संस्था के संचालक मण्डल / प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अगीकार करने के पश्चात करेगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार "एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019"

(डा. नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740737, 2740045 (फैक्स)
k.t-so./ucb/b-1/letter/jat inder/2019 ई–मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in

कार्यालय: रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांकः 05/07/2019

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
..........................अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०.. (समस्त)
..........................नागरिक सहकारी बैंक लि०.. (समस्त)
..........................महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि०.................. (समस्त)
..........................रेल्वे एम्प्लॉईज को-आपरेटिव बैंक लि०....................... (समस्त)

विषयः- एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/ नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्वेश्य से दी राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 द्वारा एक मुश्त ऋण राहत योजना की स्वीकृति हेतु निवेदन करने पर विभाग स्तर से " एक मुश्त ऋण राहत योजना, 2019 की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित अरबन को–आपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक योजना की क्रियान्विति संस्था के संचालक मण्डल / प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अगीकार करने के पश्चात करेगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार "एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019"

(डा. नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांकः 05/07/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(प्रथम/द्वितीय),सहकारी समितियां,राजस्थान,जयपुर ।
2. अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां,......................खण्ड.............................(समस्त)
3. क्षैत्रीय अकेंक्षण अधिकारी,सहकारी समितियां,..(समस्त)
4. उप/सहायक रजिस्ट्रार/विशेष लेखा परीक्षक,सहकारी समितियां...............(समस्त)
5. जन सम्पर्क अधिकारी,प्रधान कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019 को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,दी राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 बी–41,गणेशमार्ग,बापूनगर,जयपुर ।

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740737, 2740045 (फैक्स)
k.t-so./ucb/b-1/letter/jat inder/2019 ई–मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in

एकमुश्त ऋण वसूली योजना-2019

अरबन को–आपरेटिव बैंक से वित्तपोषित खाते, जो गैर निष्पादित आस्तियों/अवधिपार ऋणों की श्रेणी में वर्गीकृत हो गये है, की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना–2019

राज्य के अरबन /नागरिक सहकारी बैंकों के संसाधन, जो अवधिपार/एनपीए ऋण खातों में अवरूद्ध है, जिसकी वजह से फण्डस पुनः परिचालन में नहीं आ पा रहे है, अतः ऐसे ऋण खातों में अवरूद्ध फण्डस को एकमुश्त समझौता योजना के दायरे में लाकर वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की जा रही है। वस्तुतः योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने हेतु योजना प्रावधानों में सरलीकरण/शिथिलता प्रदान की गई है ताकि अधिक से अधिक ऋण प्रकरणों का योजनान्तर्गत निस्तारण संभव हो सके।

योजना के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है –

(1) उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है :–

1. बैंक द्वारा दिये गये अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, जो कि पूर्व में किसी कारण से एकमुश्त समझौता योजनाओं का लाभ नहीं ले पाये हैं, से ऋण की वसूली कर राशि को पुनः साख चक्र में लाना।
2. गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाना ताकि बैंकों को परिचालनात्मक लाभ में से समुचित प्रावधान करने की आवश्यकताओं से छुटकारा मिल सके।
3. ऋण की वसूली पर होने वाले व्यय को कम करने के साथ – साथ इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य में नियोजित कर संस्थाओं की कार्य दक्षता में वृद्धि लाना।
4. ऐसे ऋणी जो प्राकृतिक आपदाओं/औद्योगिक मंदी रियल स्टेट एवं अन्य विषम परिस्थितियोंवश ऋण चुकाने में दोषी रहे है, उन्हें राहत देते हुए ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना ताकि वे पुनः सहकारी संस्थाओं से जुड. सकें।
5. ऐसे ऋणी, जिनकी अचल सम्पत्ति ऋण की जमानतस्वरूप रहन रखी हुई है एवं ऋण समय पर, नहीं चुका पाने के कारण अचल सम्पत्ति पर डिक्री जारी हो चुकी है, इस प्रकार के ऋणों को इस योजना में सम्मिलित करते हुए उन्हें पुनः अपनी सम्पति प्राप्त करने का अवसर

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

प्रदान करने के साथ साथ वसूली से सम्बन्धित कानूनी मामलों में कमी लाना।

6. ऐसे ऋणी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ऋणी का काफी लम्बें समय से कोई अता–पता नहीं है, ऐसे ऋणियों के संदर्भ में उनके गारण्टरों को बैंक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना।
7. ऐसे ऋण जिनमें सृजित सम्पतिया/सिक्योरिटी स्वरूप रखी गयी सम्पत्ति की हृास हो गया है या वे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है, राहत देते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित करना।

(2) योजना का कार्यक्षेत्र

योजना का कार्यक्षेत्र संबंधित अरबन को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों के संदर्भ में प्रभावी होगा।

(3) योजना की अवधि

योजना की प्रवर्तन अवधि दिनांक 01.08.2019 से 31.03.2020 तक रहेगी।

(4) योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण :–

(अ) सभी प्रकार के ऋणों की गैर निष्पादित आस्तियां, चाहे उनकी प्रकृति किसी भी व्यवसाय गतिविधियां/उद्देश्य से सम्बन्धित हो, दिनांक 31.3.2019 को एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत हो, योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समझौता हेतु पात्र समझा जायेंगे अर्थात ऐसे ऋण प्रकरण जो कि 01.04.2019 को अवधिपार हो चुके थें तथा उसके बाद नियमित नहीं हुए, ऐसे ऋण प्रकरण योजनान्तर्गत निस्तारण हेतु पात्र समझे जायेंगे।

नोट :–

1. योजना के तहत ऋणियों से तात्पर्य व्यक्ति विशेष, संयुक्त हिन्दु परिवार प्रोप्राईटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी (प्रा. लि. क.) की तरफ बकाया से है।

(5) योजनान्तर्गत अपात्र ऋण प्रकरण

(अ) गबन एवं दुरूपयोग के मामले, जिनमें राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है अर्थात मामला पंजीकृत हो गया है या निर्णित हो गया है या विचाराधीन हैं।

(ब) ऐसे ऋण जो बैंक निदेशको/कर्मचारियों द्वारा लिये गये हो, को योजनान्तर्गत मान्य नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार बैंक निदेशकों/कर्मचारियों की गारन्टी पर दिये गये ऋण, जिनमें उनका व्यक्तिगत प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः हित परिलक्षित होता हो, रक्त संबंधियों को

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

गारन्टी पर उपलब्ध करवायें गये ऋण आदि को भी योजनान्तर्गत मान्य नहीं किया जायेगा।

(स) इसके अतिरिक्त ऐसे अवधिपार ऋणी, जिन्होने किसी न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा था तथा कोई राशि जमा नहीं कराई है एवं अब इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो उसे योजना अंतर्गत शामिल किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि उसे न्यायालय से वाद को वापिस लेना होगा।

(द) पंच निर्णय के प्रकरण इस योजना में सम्मिलित नहीं होगें ।

(6). योजनान्तर्गत पात्रता के लिये वसूली प्रयासों की स्थिति

योजनान्तर्गत किसी प्रकरण को शामिल करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक द्वारा वसूली के सामान्य प्रयासों से ऋण प्रकरण में वसूली संभव नहीं हो पाई है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऋणी को समय –समय पर तकाजा पत्रों, व्यक्तिगत संपर्को के अलावा वसूली हेतु राजस्थान सहाकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत लीगल कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो तथा प्रक्रियाधीन हो। प्रकरण के विचार हेतु प्रकरण को ग्राहय करने से पूर्व राहत कमेटी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित प्रकरण में धारा 99 एवं 100 कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं प्रक्रियाधीन है। इसी दौरान ऋणी को समझाइस का मौका दिया जाने के बतौर एकमुश्त समझौते का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाना होगा। अगर ऋणी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की लीगल कार्यवाही बदस्तूर जारी रहेगी।

(7). योजनान्तर्गत राहत का निर्धारण (सैटलमेंट फार्मूला–राशि एवं कट ऑफ डेट)

(अ) ऐसे ऋण खाते जो दिनांक 31.03.2019 को गैर निषादित आस्तियों में संदिग्ध (**Doubtful Assets**)एवं हानि आस्ति(**Loss Assets**) के रूप में वर्गीकृत हो चुके हो के ऋणियों से इस योजनान्तर्गत उक्त ऋण के एन.पी.ए.(गैर निष्पादित आस्ति) के वर्गीकृत होने की दिनांक (**Date of NPA**) से अथवा एनपीए खाते में **Undebited** ब्याज की वास्तविक वसूली बकाया होने की दिनांक से,जो भी दिनांक बाद में हो,बकाया ऋण राशि चुकाने की वास्तविक दिनांक तक का ब्याज,ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (जो भी कम हो) की दर से साधारण ब्याज

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान,

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740737, 2740045 (फैक्स)
ई–मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in

वसूली किया जाऐगा । किसी तरह का दंड ब्याज (Penal Intt.) नहीं वसूली किया जायेगा ।

ब) इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले खातों को निर्धारित फार्मूलें से गणना करने पर चाहे जितनी राशि का निर्धारण हो। लेंकिन एक खाते पर अधिकतम 2.00 लाख तक की ही राहत दी जाऐगी । दण्डनीय ब्याज (P.I) व वसूली खर्च R.E.) की राशि पृथक होगी ।

स) 02 लाख तक के ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें वितरित ऋणों के संदर्भ में बैंको के स्तर पर ऋणों की सुरक्षा बतौर कोई कोलेटरल सिक्योंरिटी उपलब्ध नहीं है तथा ऋण से सृजित कोई प्राईम सिक्योरिटी भी उपलब्ध नहीं है, अगर कहीं उपलब्ध है तो उसकी कोई रिलाईजेबल वेल्यू नहीं है तो ऐसे ऋण प्रकरणों में ऋण खातें प्रथम अवधिपार की तिथि को बकाया मूल + मूल के बाराबर ब्याज या 12 प्रतिशत साधाराण ब्याज दर से गणना से जो राशि आवे, दोनों में से जो कम हो को वसूल कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है।

द) बीमा, खातें में नामें लिखी गई राशि अलग से वसूल की जायेगी।

य) इस योजनान्तर्गत वितरित ऋण की मूल धन राशि में कोई छूट देय नहीं होगी ।

(8). <u>योजनान्तर्गत एकमुश्त समझौता सम्पन्न राशि का भुगतान</u> :–

उक्तानुसार गणना की गई जमा योग्य राशि जमा कराये जाने पर समझौता निष्पादित कर आवश्यक राहत सम्बन्धित को दी जावेगी। इस योजना के तहत ऋणी राहत का पात्र तभी होगा जब उसके द्वारा एकमुश्त समझौता अंतर्गत देय राशि का पूरा भुगतान एकमुश्त समझौता तिथि को या 31.03.2019 को खातें में बकाया राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करा दी हो। समझौता अन्तर्गत देय शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त या अधिकतम दस बराबर किस्तों में दिनांक 31.03.2020 तक जमा करवाना आवश्यक होगा। इस तिथि के बाद इस योजना में राहत देय नहीं होगी। तथा यदि ऋणी द्वारा कोई राशि जमा करा दी है तो वह उसके खाते में बकाया राशि में समायोजित कर दी जावेगी ।

(9) एक मुश्त समझौते हेतु गठित कमेटी

बैंक स्तर पर :–

1. प्रशासक / अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. महाप्रबन्धक / प्रबंध निदेशक	सदस्य

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

3. शाखा प्रबंधक, सदस्य सचिव
4. प्र0 कार्यालय का ऋण अधिकारी सदस्य
5. विशेष लेखा परीक्षक या उसका प्रतिनिधी सदस्य

उपरोक्त कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में कोरम चार सदस्यों का होगा ।

(10) अन्य बिन्दु :—

1. योजना की प्रभावी मोनेटरिंग सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट के अलावा योजना अन्तर्गत पात्र व्यक्ति द्वारा योजना का लाभ उठाने संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक से प्राप्त किया जावे जिसमें ऋणी के ऋण खातें की विगत के साथ ऋणी का मोबाईल नम्बर भी दर्शाया जावे । ऋण प्रकरण में बैंक स्तर पर ऋणी से वसूली हेतु किये गये प्रयासों की विगत जिसमें धारा 99 एवं 100 की कार्यवाही की तिथि एवं उसके परिणाम की जानकारी भी हो, की विगत भी संबंधित आवेदन फार्म पर बैंक स्तर से उल्लेखित की जावे।
2. इस योजना के तहत निष्पादित समझौते की सहमति स्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से आवेदन पत्र एवं सहमति पत्र लेना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यदि निष्पादित समझौते के तहत ऋणी द्वारा निर्धारित अवधि में पूरी राशि मय ब्याज जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे मामलों में समझौता रद्द समझा जाकर ऋणी द्वारा समझौते के समय जमा कराई गई राशि उसके ऋण खातें में सामान्य वसूली के रूप में जमा मानी जायेगी एवं उसे किसी प्रकार की राहत देय नहीं होगी।
3. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत जो सम्बन्धित बैंक को वहन करनी है, राशि का समायोजन उनके स्तर पर उपलब्ध बैड एण्ड डाउटफुल डेट रिजर्व एवं ऑवरड्यू इन्टरेस्ट/गैर निष्पादित सम्पत्तियों के विरूद्ध किये गये प्रोविजन, जैसी भी स्थिति हो, से किया जाना है। यदि उपरोक्त मदों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो तो शेष बची राशि का समायोजन बैंक के चालू वर्ष के लाभ हानि खाते से किया जा सकेगा।
4. यह योजना 31.03.2020 तक प्रभावी रहेगी। बैंक द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा सम्बन्धित शाखाओं द्वारा ऐसे सभी ऋण खातेदारों को यथासंभव पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगां

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, ज

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर—302005 दूरभाष नं. 0141—2740737, 2740045 (फैक्स)
ई—मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in

5. इस योजना के प्रावधान समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सीधे दिये गये ऋणों निर्धारित प्रकिया एवं अवधि के अनुसार प्रस्तुत किये जा सकेंगें।

6. इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे मामलों मे अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की तिथि तक 12 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो, साधारण ब्याज की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा तथा मृत्यु की दिनांक से समझौता दिनांक तक का ब्याज, दण्डनीय ब्याज आदि वसुल नहीं किया जावेगा। समझौता राशि निर्धारित अवधि में जमा होने व देय राशि पर योजनानुसार ब्याज व अन्ये खर्चे वसूल नहीं किये जावेंगें किन्तु ऋणी की पात्रता के निर्धारण से जुडें विभिन्न प्रावधान योजनानुसार ही होंगें। मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।

7. योजना के बारे में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विवाद की स्थिति में एक मुश्त समझौता हेतु गठित कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

8. इस योजना की क्रियान्विति से पूर्व सम्बन्धित बैंक को अपने संचालक मण्डल/प्रशासक से प्रस्ताव पारित कराकर अंगीकार करते हुए ही योजनान्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

9. योजना के क्रियान्वयन से बैंकों के स्तर पर होने वाली आर्थिक हॉनि के लिए शीर्ष बैंक/राज्य सरकार/विभाग से कोई अनुदान/सहायता उपलब्ध नहीं होगी ।

(भोमा राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर